

# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 07/18-19

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

श्री फागु भेंगरा

- विक्रेता

श्री संजय खिचिंगिया

- क्रेता

वाद की क्रम  
संख्या और  
तारीख

05.07.18

## आदेश

आवेदक/आवेदिका श्री फागु भेंगरा पिता स्व० बेंजामिन भेंगरा ग्राम पतराऊर, थाना तोरपा, जिला खूँटी ने श्री संजय खिचिंगिया पिता जुनुल खिचिंगिया ग्राम आनन्दपुर तपकरा, थाना तोरपा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के वि क्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)
दियांकल (पतराऊर)	51	126	486	0.20

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र, खतियान एवं लगान की रसीद सं० 1501776182 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, तोरपा के पत्रांक 294(II) दिनांक 11.06.2018 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम दुर्गा मुण्डा वगैरह है। पंजी II के अनुसार दुर्गा मुण्डा वगैरह के नाम भूमि का रकवा 2.62 एकड़ है। आवेदक के पास रकवा 2.62 एकड़ है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2017-2018 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 1733.00(एक हजार सात सौ तैंतीस)रु० प्रति डीसमिल है। इस भूमि के वि क्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि वि क्रय के बाद आवेदक के पास भूमि अवशेष रकवा 2.42 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना तोरपा के निवासी हैं एवं एक ही समुदाय (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईंहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, तोरपा ने आवेदक क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, तोरपा से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण श्री फागु भेंगरा पिता स्व० बेंजामिन भेंगरा को श्री संजय खिचिंगिया पिता जुनुल खिचिंगिया के साथ ग्राम दियांकल (पतराऊर) के खाता सं० 126 खेसरा संख्या 486 का रकबा 0.20 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 1733.00(एक हजार सात सौ तैंतीस)रुपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, तोरपा के अनुशंसा के आधार पर भूमि वि क्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
खूँटी।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
खूँटी।